

2021/556

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला-जोधपुर

प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021 कैम्प-खारिया खंगार

दिनांक:- 18/11/21

क्रमांक:- प्र.गां.के.सं.अ./2021/1168

प्रेषित:- तहसीलदार भोपालगढ़
जिला जोधपुर

विषय:- DILRMP के तहत की गयी गलत तरमीम दुरुस्ती करने बाबत। (एलआर एक्ट की धारा 131,136 के तहत)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम देवनगर पटवार हल्का खारिया खंगार के खाता संख्या 221 जिसके खसरा नं. 274/9 रकबा 0.0162 किस्म कसरा की तरमीम दुरुस्ती के तहत प्राप्त प्रार्थी के आवेदन पत्र, पटवारी खारिया खंगार भू अभिलेख निरीक्षक रामन की जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की स्पष्ट अनुशंसा के आधार एवं राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरुस्ती की स्वीकृति दी जाती है एवं तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि तरमीम दुरुस्ती अनुसार नक्शों में इन्द्राज करे।

नोट:- पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की अनुशंसा रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा।



हवाई सिंह यादव
सहायक कलक्टर
प्रभारी अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

दिनांक:- 18/11/21

क्रमांक:- सस/1169

प्रतिलिपि:-

1. प्रार्थी श्री शुक्लराम को सूचनार्थ।

हवाई सिंह यादव
सहायक कलक्टर
प्रभारी अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

Y. W.
Dawn
L-12-12

